कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर, (छ0ग0)

आदेश

क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा/1640 /2020 बिलासपुर, दिनांक– 20 अप्रैल, 2020

WHO के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) एक संक्रामक बीमारी है, इसके संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए तथा इस पर नियंत्रण के लिए इस कार्यालय के आदेश कमांक/रीडर–जि0दण्डा0 /1061/2020 बिलासपुर दिनांक–19.03.2020, आदेश कमांक/रीडर–जि0दण्डा /922/2020 बिलासपुर दिनांक– 22.03.2020, आदेश कमांक–/रीडर–जि0दण्डा0/1568/2020 दिनांक 30.03.2020, आदेश कमांक/रीडर–जि0दण्डा0/1627/2020 दिनांक– 14.04.2020 के द्वारा बिलासपुर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, दिनांक– 03, मई 2020 तक के लिए लागू की गई है, तथा महामारी अधिनियम 1897 एवं इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र कमांक एफ 1–26/2020/17–1 दिनांक– 13.03.2020 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक/ 918/वाचक कले0/2020 बिलासपुर दिनांक 21.03.2020, दिनांक 22.03.2020, आदेश कमांक /रीडर–जि0दण्डा0/1537/2020 बिलासपुर दिनांक– 24.03.2020, आदेश कमांक/रीडर–जि0दण्डा0 /1587/2020 दिनांक 31.03.2020 तथा आदेश कमांक/रीडर–जिदण्डा/1616/2020 दिनांक– 09.04.2020 के द्वारा जिले में पूर्णतः तालाबंदी (लॉकडाउन) की जाकर कुछ कार्यालयों/प्रतिष्ठानों/सेवाओं के लिए तालाबंदी (लॉकडाउन) से छूट प्रदान की गई है, तथा इन आदेशों को आदेश कमांक–1627 दिनांक– 14.04.2020 के साथ पढे जाने हेतु आदेशित किया गया है।

सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र कमांक 189/सा.प्र.वि./2020 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक– 16.04.2020 के द्वारा, गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश कमांक 40–3/2020–DM-1(A) दिनांक 15/04/2020 तथा दिनांक– 16.04.2020 के संदर्भ में नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण घोषित लॉकडाउन में चिन्हित जिले/हॉटस्पॉटस के भीतर कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल 2020 से अतिरिक्त गतिविधियो की अनुमति देते हुए निर्देश जारी किये गये हैं। अतः गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त निदेशों के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है–

1. **लाकडाउन को बढ़ाये जाने के साथ दिनांक 3 मई 2020 तक निम्न गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी–**

   i. सभी घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं से आवागमन, छूट– पैरा–4 (ix) में उल्लेखित उद्देश्यों हेतु तथा सुरक्षागत कारणों से
   ii. यात्री रेल के माध्यम से आवागमन, छूट– सुरक्षागत कारणों से
   iii. बसों के माध्यम से परिवहन
   iv. मेट्रो रेल सेवाएं
   v. व्यक्तियों का अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्जिला परिवहन, छूट– चिकित्सीय कारणों से एवं इन निर्देशों के अंतर्गत अनुमति प्राप्त गतिविधियों हेतु
   vi. सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान इत्यादि बन्द रहेंगे,

COLLECTOR & D.M. BILASPUR (CHHATTISGARH)

Scanned with CamScanner

vii. इन निर्देशों के अंतर्गत विशिष्ट अनुमति प्राप्त गतिविधियों को छोड़कर सभी वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां बन्द रहेंगी।

viii. इन निर्देशों के अंतर्गत विशिष्ट अनुमति प्राप्त गतिविधियों को छोड़कर सभी हास्पिटिलिटी सेवाएं बन्द रहेंगी।

ix. टैक्सी (आटो–रिक्शा एवं साईकिल रिक्शा सहित) तथा कैब एग्रीगेटर सेवाएं

x. सभी सिनेमाहाल, शापिंग काम्प्लेक्स, माल, जिम खेलकूद काम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, नाट्यशाला, नाटकशाला, बार एवं सभागार, एसेम्बली हाल एवं इस प्रकार के स्थान

xi. सभी प्रकार के सामाजिक/राजनीतिक/ खेलकूद/शैक्षिक/मनोरंजन /सांस्कृतिक/धार्मिक एवं अन्य सामूहिक आयोजन

xii. सभी धार्मिक स्थल/पूजा के स्थल जनसाधारण के लिए बन्द रहेंगे। धार्मिक सामूहिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।

xiii. अन्येष्टि/ अंतिम संस्कार संबंधी आयोजन में 20 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी।

2. **हाटस्पाट एवं कन्टेनमेंन्ट जोनों में निम्न दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन किया जाए–**

i. हाटस्पाट, ऐसे क्षेत्र या ऐसे क्लस्टर जिनमें कोराना वायरस का संक्रमण वृहद स्तर पर फैला हो, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप चिन्हित होंगे।

ii. इन हाटस्पाट्स में जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कन्टेनमेन्ट जोन सीमांकित किए जाएं।

iii. इन कन्टेनमेन्ट जोन के भीतर इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। कन्टेनमेन्ट जोन क्षेत्र की परिधि में व्यक्तियों के आने–जाने पर कठोर नियंत्रण रखा जावेगा ताकि केवल अत्यावश्यक सेवाओं (कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य आपातकालीन सेवाओं सहित) तथा शासकीय कार्य हेतु वांछित व्यक्तियों का मात्र आवागमन हो। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का कठोरता से पालन किया जाए।

COLLECTOR & D.M. BILASPUR (CHHATTISGARH)

3. **20 अप्रैल 2020 से चिन्हित अनुमति प्राप्त गतिविधियां–**

i. जनता की समस्याओं को कम करने हेतु चिन्हित अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति 20 अप्रैल 2020 से होगी। जिला प्रशासन द्वारा वर्तमान दिशानिर्देशों का पालन करते हुए इन चिन्हित अतिरिक्त गतिविधियों को क्रियान्वित कराया जावेगा। इन चिन्हित अतिरिक्त गतिविधियां की

Scanned with CamScanner

अनुमति देने से पूर्व जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यालयों, कार्यस्थलों, फैक्ट्री एवं अन्य स्थापनाओं में सोशल डिस्टेंस एवं अन्य तैयारी संबंधी व्यवस्था निर्धारित प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) अनुसार हो गयी हो।

ii. इन समेकित संशोधित दिशानिर्देशों के निम्न पैरा 05 से 20 में इन चिन्हित अनुमति प्राप्त गतिविधियों की जानकारी दी गयी है।

4. **लाकडाउन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन–**

i. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जारी इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा तथा इसमें किसी प्रकार की ढील नहीं होगी।

ii. स्थानीय आवश्यकता अनुसार दिशानिर्देशों में दिये गये प्रावधानों को अधिक कठोर किया जा सकेगा।

5. सभी स्वास्थ्य सेवाएं शासकीय एवं निजी (आयुष सहित) चालू रहेंगी, जैसे–

i. अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेली मेडीसिन सुविधाएं,

ii. डिस्पेंसरी, दवा दुकान, केमिस्ट, फार्मेसी (जन औषधि केन्द्र सहित) एवं मेडिकल इक्वीपमेन्ट दुकान

iii. मेडिकल लैब एवं कलेक्शन सेंटर

iv. दवा एवं चिकित्सीय रिसर्च लैब, कोरोना वायरस रिसर्च कर रहे संस्थान

v. वेटेनरी अस्पताल, डिसपेन्सरी क्लीनिक, पैथोलाजी लैब, दवा एवं टीको की बिक्री एवं सप्लाई

vi. अधिकृत निजी संस्थान जो कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम में आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हों, जैसे– होमकेयर, पैथोलाजी, डायग्नोस्टिक सेवाएं, सप्लाई चेन जो अस्पातालों में सहयोगी सेवाएं दे रहे हों।

vii. दवा, मेडिकल डिवाईस, मेडिकल ऑक्सीजन, निर्माण यूनिट तथा इनकी पैकेजिंग, कच्चा माल एवं अंतरिम उत्पाद बनाने वाली इकाईयां

viii. स्वास्थ्य /मेडिकल अधोसंरचना का निर्माण, एम्बुलेन्स निर्माण

ix. अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर सभी चिकित्सीय एवं वेटेनरी मानव संसाधन, वैज्ञानिक, डाक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन एवं अन्य अस्पताल सेवाओं के व्यक्तियों का आवागमन एवं एम्बुलेन्स का आवागमन ।

COLLECTOR & D.M. BILASPUR CHHATTISGARH

6. **कृषि एवं संबंधित गतिविधियां–**

A. सभी कृषि एवं उद्यानिकी गतिविधियां सम्पूर्णतः संचालित रहेंगी जैसे–

Scanned with CamScanner

i. किसानों द्वारा कृषि गतिविधियां तथा कृषि मजदूरों द्वारा खेत में कृषि कार्य
ii. न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित एजेन्सियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेन्सियां
iii. मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मण्डियां एवं उप–मण्डियां, किसानों या किसानों के समूह (एफ0पी0ओ0) से निजी क्षेत्र द्वारा सीधे कृषि उत्पाद क्रय प्रक्रिया, ग्राम स्तर से विकेन्द्रीकृत क्रय–विक्रय
iv. कृषि मशीनरी विक्रय, इससे संबंधित स्पेयर पार्ट एवं मरम्मत की दुकानें (सप्लाई चेन) खुली रहेंगी
v. कृषि मशीनरी से संबंधित कस्टम हायरिंग सेन्टर
vi. खाद/उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज विनिर्माण, वितरण एवं विक्रय
vii. फसल बोआई एवं कटाई के संबंध में कम्बाईन्ड हार्वेस्टर तथा अन्य कृषि /हार्टिकल्चर मशीनी उपकरणों का राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय परिवहन
viii. वन क्षेत्रो में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वनवासियों द्वारा लघुवनोपज/ गैर–काष्ठ वन उत्पाद का संग्रहण , हार्वेस्टिंग तथा प्रसंस्करण

B. मछली पालन– निम्न गतिविधियां संचालित रहेंगी–

i. मछली पालन संबंधी समस्त गतिविधियां / एक्वा कल्चर उद्योग (जलकृषि), पूरक आहार प्रदाय एवं मरम्मत, मत्स्य उत्पादन, प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, विक्रय एवं मार्केटिंग,
ii. हैचरी, पूरक आहार उत्पादन यूनिट, व्यवसायिक उत्पादन,
iii. मछली/ झींगा के भण्डारण एवं परिवहन/ मछली बीज/ पूरक आहार एवं इन सभी गतिविधियों से जुड़े हुये श्रमिक।

COLLECTOR & D.M. BILASPUR CHHATTISGARH

C. बागान संबंधी निम्न गतिविधियां संचालित रहेंगी–

i. चाय, कॉफी एवं रबड़ बागान, अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मियों सहित
ii. चाय, कॉफी, रबड़ एवं काजू की प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं बिक्री अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मियों सहित
iii. बांस, नारियल, सुपारी, कोको, मसालों के बागान में कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं बिक्री

पशुपालन संबंधी निम्न गतिविधियां संचालित रहेंगी–

i. दूध एवं दूध उत्पादों के दूध के संग्रहण, प्रसंस्करण , पैकेजिंग से लेकर विक्रय / बिक्री तक सप्लाई चेन
ii. पशु फार्म, कुक्कुट पालन एवं हैचरी तथा पशुपालन गतिविधियां

Scanned with CamScanner

iii. जानवरों के चारे के निर्माण संबधित यूनिट कच्चे माल की आपूर्ति जैसे– मक्का एवं सोया

iv. पशु गृह जैसे– गोशालाओं का संचालन,

7. **वित्तीय क्षेत्र– निम्नानुसार संचालित रहेगा–**

i. भारतीय रिजर्व बैंक तथा रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित वित्तीय मार्केट एवं संस्थाएं जैसे– NPCI, CCIL, पेमेंट सिस्टम आपरेटर तथा एकल प्रायमरी डीलर,

ii. बैंक शाखाएं तथा ए0टी0एम0, बैंकिंग सेवाओं हेतु आई0टी0 वेन्डर, बैंक मित्र तथा ए0टी0एम0 संचालन व कैश मैनेजमेंन्ट एजेन्सीयां

a. बैंक शाखाओं को सामान्य कार्य दिवस में निर्धारित घण्टों तक कार्य करने की अनुमति जब तक डी0बी0टी0 की राशि का आहरण पूर्ण हो।

b. स्थानीय प्रशासन बैंक शाखाओं तथा बैंक मित्रों को सोशल डिस्टेंसिंग, कानून व्यवस्था तथा व्यवस्थित रूप से नगदी आहरण हेतु सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराएं ।

iii. सेबी द्वारा अधिसूचित सेवाएं

iv. बीमा सेवाएं / बीमा कम्पनियां

v. गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एन0बी0एफ0सी0) जैसे– गृह निर्माण फायनेंस कम्पनी तथा माईक्रो फायनेंस संस्थान, न्यूनतम स्टाफ सहित

vi. सहकारी ऋण सोसायटियां

8. **सामाजिक क्षेत्र– निम्नानुसार संचालित रहेगा–**

i. समाज कल्याण आवासीय संस्थाएं बच्चों / निःशक्तजन/ मानसिक रूप से निः शक्त/बेघर /वरिष्ठ नागरिक /महिलाओं /विधावाओं की देख रेख हेतु संचालित हों,

ii. आबजरवेशन होम, आफ्टर केयर होम तथा किशोर गृह

iii. सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यवस्था न्यूनतम स्टाफ सहित, EPFO द्वारा पेंशन एवं प्राविडेन्ट फण्ड की सेवाएं

iv. आंगनबाड़ियों का संचालन– खाद्य पदार्थ एवं पोषण सामग्री का हितग्राहियों जैसे कि बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को द्वार प्रदाय के माध्यम से 15 दिन में एक बार वितरण, परन्तु हितग्राही आंगनबाडी में उपस्थित नहीं होंगे।

COLLECTOR & D.M. BILASPUR (CHHATTISGARH)

20/4/20

9. **आनलाईन शिक्षण / डिस्टेंस एजुकेशन को बढावा दिया जावे–**

i. सभी शैक्षणिक , प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान इत्यादि बन्द रहेंगे।

Scanned with CamScanner

ii. यद्यपि इन संस्थानों से अपेक्षित है कि वह शैक्षणिक कार्य आनलाईन माध्यम से जारी रखें

iii. शैक्षणिक कार्य हेतु दूरदर्शन एवं अन्य एजुकेशनल चैनलों का उपयोग अधिक से अधिक किया जाए ।

10. **मनरेगा कार्यो की अनुमति होगी–**

i. सोशल डिस्टेंसिंग तथा चेहरे पर मास्क के अनिवार्य पालन के साथ मनरेगा कार्यो की अनुमति होगी।

ii. मनरेगाा के अंतर्गत सिंचाई तथा जल संरक्षण के कार्यो को प्राथमिकता दी जाए।

iii. अन्य केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र की योजनाओं का कियान्वयन जारी रह सकता है तथा मनरेगा के साथ अभिशरण उपयुक्त रूप से किया जा सकता है।

11. **पब्लिक यूटिलिटी– निम्न सेवाएं संचालित रहेंगी–**

i. आयल एवं गैस क्षेत्र के कार्य जैसे कि रिफाईनिंग, परिवहन, वितरण, भण्डारण एव खुदरा बिकी उदाहरण स्वरूप– पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, सी0एन0जी0, एल0पी0जी0, पी0एन0जी0 इत्यादि।

ii. केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर विद्युत का उत्पादन, पारेषण तथा वितरण।

iii. डाक सेवाएं डाकघर सहित।

iv. जल प्रदाय, साफ–सफाई एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र की सेवाए स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका इत्यादि के माध्यम से

v. टेलीकाम एवं इन्टरनेट सेवाओं को प्रदाय करने वाले सेवा प्रदाताओं का संचालन

12. **राज्यों के भीतर एवं अंतर्राज्यीय माल परिवहन तथा उसकी लोडिंग व अनलोडिंग की निम्नानुसार अनुमति होगी–**

i. समस्त माल परिवहन की अनुमति होगी।

ii. रेलवे सेवाओं में माल एवं पार्सल ट्रेन संचालित होंगे।

iii. एयरपोर्ट अंतर्गत एयर कार्गो परिवहन तथा राहत एवं बचाव उड़ानें संचालित होंगी।

iv. बन्दरगाह एवं इनलैण्ड कंटेनर डिपो माल परिवहन तथा इस हेतु अधिकृत कस्टम क्लीयरिंग एजेंट तथा फारवर्डिंग एजेन्ट संचालित होंगे। शुष्क बन्दरगाह अंतर्देशीय माल परिवहन हेतु संचालित होंगे, जिसमें आवश्यक वस्तुओं, पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य पदार्थ एवं चिकित्सीय सामग्री का परिवहन होगा।

COLLECTOR & D.M. BILASPUR (CHHATTISGARH)

20/4/20

Scanned with CamScanner

v. सभी मालवाहक ट्रक एवं अन्य वाहनों को अधिकतम दो वाहन चालक तथा एक सहायक के साथ संचालन की अनुमति होगी, बशर्ते वाहन चालक के पास वैध ड्राईविंग लायसेंस हो। माल डिलीवरी उपरांत खाली ट्रक को लौटने की तथा माल भरने हेतु जाने की अनुमति होगी।

vi. ट्रकों के रिपेयर की दुकानें तथा राजमार्गों पर ढाबे सोशल डिस्टेंस सहित संचालित हो सकेंगे।

vii. रेलवे, एयरपोर्ट/ एयर कार्गो, बन्दरगाह/ जहाज, शुष्क बन्दरगाह, इनलैण्ड कन्टेनर डिपो में कार्यरत अधिकारी–कर्मचारी तथा ठेका श्रमिकों को इन संस्थानों के अधिकृत प्राधिकारी के अनुरोध पर जिला प्रशासन द्वारा जारी पास के आधार पर आने जाने की अनुमति होगी।

13. **आवश्यक सामग्रियों के वितरण की अनुमति निम्नानुसार होगी–**

i. आवश्यक सामग्रियों के सप्लाई चेन से संबंधित सभी इकाईयों, विनिर्माण, खुदरा एवं थोक में वितरण / बिक्री से संबंधित सभी दुकानों /गोदामों, डिपार्टमेंटल स्टोर तथा ई–कामर्स कंपनियों के संचालन हेतु, सोशल डिस्टेंस मेंन्टेन करने की शर्त पर समय–सीमा के बंधन के बिना संचालन की अनुमति होगी।

ii. दुकानें (किराना दुकान एवं आवश्यक सामग्रियों का विक्रय कर रही एकल दुकानें सहित), ठेले एवं राशन दुकानें (पी0डी0एस0 सहित) जो खाद्य एवं रोजमर्रा उपयोग की वस्तुएं (साबुन, हाथ धोने की सामग्री, बाडीवाश, सैनिटाईजर, वाशिंग पाउडर, टूथपेस्ट, बैटरी सेल, चार्जर, शैम्पू, टिशू पेपर, सैनिटरी नैपकिन एवं पैड इत्यादि) फल एवं सब्जी, पोल्ट्री, मीट, अण्डे, मछली, दूध एवं डेयरी उत्पाद विक्रय बूथ पशुचारा एवं चश्मा की दुकाने निम्नानुसार खोली जाएंगी, किन्तु इनमें सोशल डिस्टेंस मेन्टेन कर संचालित की जायें।

अतः उपरोक्त दुकानों में से निम्न दुकानों के संचालन हेतु नीचे लिखे अनुसार समय निर्धारित किया जाता है–

कमांक	संस्थान/दुकानों का विवरण	खलने एवं बंद होने का समय/स्थिति
1	सभी मंडियां, दुकान व ठेले (सब्जी, फल, अनाज, चिकन, मटन, मछली) कृषि मशीनरी विक्रय एवं स्पेयर पार्ट्स की दुकाने, खाद/उर्वरक, कीटनाशयक एवं बीज विक्रय, पशु चारा (चौपाया, मछली चारा),	प्रातः 9.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
2	डेलीनीड्स, किराना, आटा चक्की, मोबाईल रिचार्ज दुकान एवं चश्मा दुकान	प्रातः 9.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
3	मिल्क पार्लर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक

COLLECTOR & D.M. BILASPUR (CHHA...
20/4/20

Scanned with CamScanner

iii. जिला प्रशासन लोगों को घर से बाहर न निकलने को प्रोत्साहित करने के लिए होम डिलिवरी को बढावा दिया जावे।

14. **वाणिज्यिक एवं निजी संस्थानों को संचालन की अनुमति निम्नानुसार होगी–**

i. प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मिडिया, प्रसार, डी0टी0एच0 एवं केबल टीवी सेवाएं

ii. आई0टी0 एवं आई0टी0 आधारित सेवाएं अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति पर

iii. शासकीय गतिविधियों हेतु डाटा एवं काल सेंटर

iv. शासन द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत स्तर पर सी0एस0सी0 केन्द्र

v. ई–कामर्स कम्पनियां, ई–कामर्स कम्पनियों द्वारा प्रयुक्त वाहनों को स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी पास के आधार पर संचालन की अनुमति होगी।

vi. कुरियर सेवाएं

vii. कोल्ड स्टोरेज एवं भण्डार गृह सेवाएं बन्दरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कन्टेनर डिपो, उत्पाद इकाईयां अथवा लाजिस्टिक्स चेन में अन्य स्थानों पर

viii. निजी सुरक्षा सेवाएं एवं कार्यालय एवं रहवासी कालोनियों के संधारण सुरक्षा हेतु फैसिलिटी मैनेजमेंट सेवाएं

ix. हॉटल, होमस्टे, लॉज, मोटल जो कि फंसे हुए व्यक्तियों /पर्यटकों/ मेडिकल तथा आवश्यक सेवाओं वाले स्टाफ हेतु संचालित हो ।

x. स्वतः कार्य करने वाले व्यक्तियों जैसे इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, आई0टी0 रिपेयर, बढई इत्यादि की सेवाएं, **(प्रातः 9.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक)**

15. **उद्योगों/औद्योगिक संस्थानों (शासकीय एवं निजी संस्थानों) को निम्नानुसार संचालन की अनुमति होगी–**

i. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अर्थात नगरीय निकायों की सीमा के बाहर संचालित उद्योगों को संचालन की अनुमति होगी।

ii. ऐसे औद्योगिक इकाईयां जो निर्धारित औद्योगिक क्षेत्रों जैसे इण्डस्ट्रीय इस्टेट में स्थित हों तथा जिनमें व्यक्तियों के आने जाने पर नियंत्रण रखा जा सके । ऐसे उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को यथासंभव उनके उद्योग के परिसर के भीतर अथवा लगे हुये स्थानों / भवनों में ही रखने की व्यवस्था इन निर्देशों के पैरा – 21 (ii) में निर्धारित एस0ओ0पी0 अनुसार करनी अनिवार्य होगी। इन श्रमिकों की आने जाने की व्यवस्था संबंधित उद्योगों द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुये की जाएगी।

COLLECTOR & D.M. BILASPUR (CHHATTISGARH)

2/4/20

Scanned with CamScanner

iii. ऐसी औद्योगिक इकाईयों जो आवश्यक सामग्रियां, दवाईयां, मेडिकल उपकरण, दवाओं के कच्चे माल इत्यादि के उत्पादन करती हो को अनुमति होगी ।

iv. खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां जो ग्रामीण क्षेत्र मे स्थित अर्थात नगरीय निकायों के सीमा के बाहर हो ।

v. उत्पादन इकाईयां जिनमें उत्पादन प्रकिया निरन्तर प्रकार की हो एवं उनका सप्लाई चेन।

vi. आई0टी0 हार्डवेयर उत्पादन इकाई

vii. कोयला उत्पादन, खनन, खनिज परिवहन एवं खनिज उत्पादन से जडी विस्फोटक सप्लाई एवं अन्य सहायक गतिविधियों

viii. पैकेजिंग मटेरियल बनाने वाली उत्पादन इकाईयां

ix. जूट आधारित उत्पादन इकाईयां, सोशल डिस्टेंस के पालन तथा पृथक–पृथक पाली मे उत्पादन की शर्त पर

x. तेल एवं गैस रिफाईनरी/ एक्सप्लोरेशन

xi. ईंट भट्ठे जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अर्थात नगरीय निकायों के सीमा के बाहर हो ।

अनवरत उत्पादन प्रकिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हो) सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान इन सभी को छोड़कर अन्य उद्योग/औद्योगिक संस्थान प्रातः 9.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक संचालित होंगे।

16 **निम्न निर्माण गतिविधियों को प्रातः 9.00 से सायं 4.00 बजे तक संचालन की अनुमति होगी–**

i. ग्रामीण क्षेत्र में अर्थात नगरीय निकायों की सीमा के बाहर सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजना, भवन निर्माण, जल प्रदाय एवं स्वच्छता, विद्युत ट्रांसमिशन लाईनों का निर्माण, दूरसंचार हेतु ऑपटिकल फाईबर एवं केबल डालने का कार्य एवं सवभी प्रकार के उद्योग (एमएसएमई सहित) निर्माण परियोजनाओं के लिए अनुमति होगी तथा सभी प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र निर्माण की परियोजनाओं में अनुमति होगी।

ii. नवीकरणीय उर्जा संबंधी परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति होगी।

iv. नगरीय निकायों की सीमा के भीतर ऐसी निर्माण परियोजनाएं जहां पर श्रमिक साईट पर उपलब्ध हो तथा बाहर से लाने की आवश्यकता न हो।

COLLECTOR & D.M. BILASPUR CHHATTISGARH

2/4/20

17. **निम्नानुसार व्यक्तियों के आने–जाने की अनुमति होगी–**

i. आपातकालीन सेवाओं जैसे मेडिकल, एमरजेंसी, वेटनरी एवं आवश्यक सामग्री कय हेतु निजी वाहनों की अनुमति होगी। चौपहिया वाहनों में

Scanned with CamScanner

वाहन चालक के अलावा केवल पीछे की सीट में एक सवारी बैठाने की अनुमति होगी। दोपहिया वाहनों में केवल वालक को ही अनुमति होगी।

ii. छूट प्राप्त श्रेणियों एवं अनुमति प्राप्त क्षेत्र के व्यक्तियों को जिला प्रशासन द्वारा निर्देशानुसार कार्यस्थल से निवास तक परिवहन की अनुमति होगी।

18. **भारत सरकार के कार्यालय, भारत सरकार की अधीनस्थ संस्थाओं/स्वायत्त संस्थाओं के कार्यालय निम्नानुसार खुलेंगे–**

i. रक्षा, केन्द्रीय पुलिस बल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन एवं अरली वारनिंग एजेंसियों, एन.आई.सी., एफ.सी.आई., एन.सी.सी., नेहरू युवा केन्द्र एवं सीमा शुल्क कार्यालय बिना किसी बाधा के कार्य करेंगे।

ii. अन्य मंत्रालयों, एवं विभागों एवं अधिनस्थ संस्थाओं के कार्यालय उप सचिव एवं उच्चतर स्तर के अधिकारियों की शतप्रतिशत उपस्थिति तथा उनसे निम्न स्तरों के अधिकारियों एवं स्टाफ के 33 प्रतिशत उपस्थिति के स्तर के साथ संचालित रहेंगे।

19. **राज्य सरकार के कार्यालय, राज्य सरकार की अधीनस्थ संस्थाओं/स्वायत्त संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के कार्यालय निम्नानुसार खुलेंगे–**

i. पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन एवं जेल नगरीय निकायों की सेवाएं बिना किसी बाधा के संचालित होंगी।

ii. राज्य सरकार के अन्य विभागों एवं अधिनस्थ संस्थाओं के कार्यालय के संबंध में पूर्व में राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों अनुसार सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आवश्यक लोक सेवाओं के प्रदाय को सुनिश्चित किया जाएगा।

iii. जिला प्रशासन एवं कोषालय (जिसमें सम्मिलित है महालेखाकार के मैदानी कार्यालय) सीमित स्टॉफ सहित संचालित रहेंगे, यद्यपि लोक सेवाओं के प्रदाय को सुनिश्चित किया जाएगा तथा इस हेतु आवश्यक स्टॉफ तैनात किया जाएगा।

iv. नई दिल्ली में स्थित राज्यों के आवासीय आयुक्त कार्यालय, केवल कोरोना सक्रमण नियंत्रण गतिविधियों के समन्वय तथा आंतरिक किचन व्यवस्था हेतु न्युनतम स्टॉफ सहित संचालित होंगे।

v. वन कार्यालय– चिड़िया घर, नर्सरी, वन्यप्राणी, वनों में अग्निशमन, वनों में पेट्रोलिंग हेतु आवश्यक वाहन/मानव संसाधन सहित।

COLLECTOR & D.M. BILASPUR (CHHATTISGARH)

20/4/20

20. **अनिवार्य क्वारंटीन में व्यक्तियों को रखने हेतु निर्देश निम्नानुसार है–**

i. ऐसे व्यक्तियों जिनको घर/निर्धारित स्थल पर एक निर्धारित अवधि हेतु स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा स्वास्थ्य अमले के माध्यम से क्वारंटीन में निर्देशित किया गया हो।

Scanned with CamScanner

ii. व्यक्तियों जिनके द्वारा क्वारंटीन का उल्लंघन किया जाए वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।

iii. क्वारंटीन में रखे गये व्यक्तियों, जो 15 फरवरी, 2020 के उपरांत अन्य देशों से भारत आये, को निर्धारित क्वारंटीन अवधि की समाप्ति उपरांत तथा कोरोना वायरस टेस्ट में निगेटिव आने पर मुक्त करने हेतु गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित एसओपी अनुसार मुक्त किया जावे।

21. **उपरोक्त लॉकडाउन आदेशों के पालन हेतु निर्देश–**

i. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कोरोना वायरस कोविड–19 के निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित कराया जाना है। इन निम्न निर्देशों के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों तथा स्थापनाओं पर विधि अनुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानानुसार अर्थदंड तथा दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी–

सार्वजनिक स्थल–

a. सभी सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर चेहरे का ढका जाना अनिवार्य होगा।

b. सभी व्यक्ति जो सार्वजनिक जगहों, कार्यथल एवं परिवहन के प्रभारी है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

c. कोई भी संस्था/सार्वजनिक स्थल का प्रबंधक पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के जमाव की अनुमति नहीं देगा।

d. विवाह एवं अंत्येष्टि जैसे आयोजनों के लिए व्यक्तियों के एकत्रित होने संबंधी व्यवस्था जिला दण्डाधिकारी द्वारा विनियमित किया जायेगा।

e. सार्वजनिक स्थलों पर थूकना अर्थदण्ड के साथ दंडनीय होगा।

f. शराब, गुटका, तम्बाकू इत्यादि के विक्रय पर कड़ा प्रतिबंध होगा एवं थूकने पर सख्त प्रतिबंध होगा।

COLLECTOR & D.M. BILASPUR (CHHATTISGARH)

कार्यस्थल–

g. समस्त कार्यस्थलों पर थर्मल स्क्रीनिंग की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए तथा सुविधाजनक स्थान पर सैनिटाईजर की व्यवस्था करनी होगी।

h. कार्यस्थलों पर प्रत्येक पाली के मध्य 1 घंटे का अंतराल रखा जाए एवं सोशल डिस्टेंस के परिपालन के लिए कर्मचारियों के भोजन अवकाश के मध्य अंतराल रखा जाए।

Scanned with CamScanner

i. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों तथा ऐसे व्यक्तियों जिनको कोई सह–रूग्णता हो तथा 5 वर्ष के कम आयु के बच्चों के पालकों को घर से कार्य करने प्रोत्साहित किया जाये।

j. आरोग्य सेतु एप का उपयोग करने सभी प्राईवेट एवं शासकीय कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए।

k. समस्त संस्थाएं पालियों के मध्य अपने कार्यस्थलों के सेनिटाईजेशन की व्यवस्था करेंगे।

l. बड़ी बैठकें प्रतिबंधित होंगी।

विनिर्माण ईकाईयां–

m. सार्वजनिक सतहों की बार–बार सफाई तथा हाथों की अनिवार्य धुलाई के आदेश जारी किये जायें।

n. पालियों की ओवर–लैपिंग न हो तथा कैंटिंन में सामाजिक दूरी के नियम के पालन में लंच के समय को आगे–पीछे रखा जाए।

o. अच्छे स्वच्छता की आदतों से भली–भांति परिचित कराने प्रशिक्षण एवं पर्याप्त सूचना प्रदान किया जाये।

ii. सभी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक स्थापनाएं, कार्यस्थल, कार्यालय इत्यादि द्वारा कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निर्धारित मानक प्रक्रिया एसओपी अनुसार निम्न आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं–

1. निम्नलिखित स्थानों को सम्मिलित करते हुए परिसर के समस्त क्षेत्रों को पूर्णरूपेण उपयोक्ता मैत्रीपूर्ण (User-Friendly) निःसंक्रामक (Disinfectant) उपयोग करते हुये संक्रमण रहित किया जाए–
   a. भवन का प्रवेश द्वार कार्यालय इत्यादि
   b. कैफेटेरियां एवं कैंटीन
   c. बैठक कक्ष, सम्मेलन हाल, /उपलब्ध खुली जगहें/ बरामदा/ जगह का प्रवेश द्वार /बंकर/ पोर्ट/ केबिन /भवन इत्यादि
   d. उपकरण एवं लिफ्ट
   e. वाशरूम, प्रसाधन, सिंक, पानी के स्थान इत्यादि
   f. दीवारें तथा अन्य सतहें
2. बाहर से आने वाल श्रमिकों के लिये सार्वजनिक यातायात के साधनों पर निर्भर ना रहते हुये परिवहन की विशेष व्यवस्था बनाई जाए। ऐसे वाहनों की यात्री क्षता का 30–40 प्रतिशत उपयोगी की अनुमति दी जावे।
3. परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों एवं मशीनों को अनिवार्यतः स्प्रे कर सैनेटाईज किया जावे।

COLLECTOR & D.M. BILASPUR (CHHATTISGARH)

Scanned with CamScanner

4. कार्यस्थल पर आने वाले तथा जाने वाले सभी व्यक्तियों की अनिवार्य थर्मल स्क्रीनिंग की जावे।
5. सभी कामगारों का चिकित्सा बीमा कराया जाना अनिवार्य किया जाए।
6. हैण्डवाश एवं सैनेटाईजर, जो स्पर्शमुक्त प्रणाली युक्त हो तो बेहतर, का प्रावधान समस्त आगम एवं निर्गम द्वारों तथा सार्वजनिक स्थानों पर किया जाए। उपरोक्त वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई जावे।
7. कार्यस्थलों पर दो पालियों के मध्य 1 घंटे का समय अंतराल रखा जाए तथा सोशल डिस्टेंस के पालन के लिए भोजन अवकाश मे भी समय अंतराल रखा जावे।
8. दस या अधिक व्यक्तियों के एक जगह इकट्ठा होने अथवा बैठकों को हतोत्साहित किया जावे। कार्यस्थल बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में बैठने के लिये कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखी जाये ।
9. लिफ्ट इत्यादित में 2 से 4 (क्षमता के अनुसार) व्यक्तियों का चढने की अनुमति दी जावे।
10. उपर चढने के लिये सीढियों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाये ।
11. गुटखा, तम्बाकू इत्यादि के उपायोग तथा थूकने पर सख्त प्रतिबंध होगा।
12. स्थल पर अनावश्यक आगंतुकों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
13. आसपास के अस्पताल एवं क्लीनिक जो कोविड 19 के उपचार के लिये अधिकृत हों को चिन्हित कर सूची कार्यस्थल पर हर समय उपलब्ध करायी जाये ।

iii. कोरोना नियंत्रण के इन कन्टेनमेन्ट उपायों को लागू करने के लिये जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को उनके निर्धारित क्षेत्र के लिए इन्सीडेण्ट कमाण्डर नियुक्त किया गया है, जो अपने निर्धारित क्षेत्र में निर्देशों के पालन हेतु समग्र रूप से जिम्मेदार होंगे। निर्धारित क्षेत्र में सभी विभागों के अधिकारी / कर्मचारी इन्सीडेण्ट कमाण्डर के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करेंगे। आवश्यक मूवमेंट हेतु इन्सीडेण्ट कमाण्डर द्वारा पास जारी किया जाएगा।

COLLECTOR & D.M. BILASPUR (CHHATTISGARH)

iv. इन्सीडेण्ट कमाण्डर विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि अस्पताल अधोसंरचना के विस्तार के लिये आवश्यक संसाधन, वस्तुएं एवं सामग्री बिना किसी रूकावट के उपलब्ध रहे।

v. इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत अनुमति प्राप्त अतिरिक्त गतिविधियां निर्देशों के अंतर्गत वांछित अनिवार्य आवश्यक तैयारी करने के उपरांत ही योजनाबद्ध ढंग से आरंभ की जाए। यह निर्देश/आदेश 20 अप्रैल 2020 से प्रभावी होंगे।

22. दाण्डिक प्रावधान–

इन लाकडाउन आदेशों एवं निर्देशों के उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता

Scanned with CamScanner

1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हों, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।

पूर्व में अप्रभावित जिले/क्षेत्र के हॉटस्पॉट्स एवं कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा उपरोक्त अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पॉट एवं कंटेन्मेंट जोन में कदापि नहीं होगी।

इस आदेश की कंड़िका 3 में उल्लेखित चिन्हित अनुमति प्राप्त गतिविधियों हेतु कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम हेतु भारत शासन, राज्य शासन एवं स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेश, निर्देशों एवं एड्वाईजरी सहित उपरोक्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इन लाकडाउन आदेशों एवं निर्देशों के उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हों, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।

20/4/20

(डॉ0 संजय अलंग)
जिला दण्डाधिकारी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
बिलासपुर, (छ0ग0)

पृ0 क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा/1641/2020 बिलासपुर, दिनांक–20 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि–1–अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।

2– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।

3– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।

4– आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।

5– पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

6– पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर,

7– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर

8– आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर,

9– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर,

10– अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बिलासपुर/कोटा/मस्तुरी एवं बिल्हा,

11– सर्व विभाग प्रमुख/कार्यालय/संस्थान...

12– उप संचालक, जनसंपर्क , बिलासपुर को समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ।

जिला– बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

BILASPUR ✱ COLLECTOR & D.M. (CHHATTISGARH) ✱

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला दण्डाधिकारी
बिलासपुर, (छ0ग0)
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

Scanned with CamScanner